न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29/2018 **दायर दिनांक : 09.03.2018**

1. भीयांराम पुत्र श्री रामाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान(मृतक)।
   - 1/1. श्रीमती दाखां देवी पत्नी स्व. श्री भीयांराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 1/2. श्रीमती राधा देवी पुत्री स्व. श्री भीयांराम पत्नी श्री रणजीत जाति कुम्हार निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
   - 1/3. धर्मपाल पुत्र स्व. श्री भीयांराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 1/4. श्रीमती सरस्वती पुत्री स्व. श्री भीयांराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी संघर तहसील सूरतगढ़।
   - 1/5. हेतराम पुत्र स्व. श्री भीयांराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 डीडब्ल्यूमए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 1/6. श्रीमती गोमती पुत्री स्व. श्री भीयांराम पत्नी श्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी ग्राम बीरमाना तहसील सूरतगढ़।
   - 1/7. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री भीयांराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
   - 1/8. श्रीमती रूकमां पुत्री स्व. श्री भीयांराम पत्नी श्री औमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी किशनुपरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
   - 1/9. ताराचन्द पुत्र स्व. श्री भीयांराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 डीडब्ल्यूमए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. हरीराम पुत्र स्व. श्री रामाराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 डीडब्ल्यूमए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री लालचंद जाति कुम्हार निवासी चक 5 डीडब्ल्यूम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. कालूराम पुत्र स्व. श्री भींयाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

उपस्थितः–

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, राकेश कुमार मनचंदा अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री जसवीर बराड़ अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 11/03/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित अप्रार्थी सं. 1 के अभिभाषक उपस्थित, अप्रार्थी न. 2 की ओर से नायब

क्रमशः 2 पर .....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तहसीलदार सूरतगढ़ उपस्थित व 3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश हो चुके है। पत्रावली का अवलोकन किया विचारण संक्षेप में विचारण तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण सं. 1/1 ता 1/9 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 रूल 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री प्रकरण संख्या 206/16 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2017 एवं आदेश 12.10.2017, 23.11.2017 विधि विरूद्ध इकतरफा सुनवाई के आधार पर पारित होने व समन मृत व्यक्ति के विरूद्ध तामील मानकर आदेश दिनांक 11.12.2017 पारित किये है जो निरस्त कर प्रार्थीगण के विरूद्ध इकतरफा सुनवाई के आदेश निरस्त कर वाद में पारित आदेश व डिक्री निरस्त कर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आधार दिया कि प्रतिवादी भीयांराम की मृत्यु के तथ्य का ज्ञान होते हुये अदालत को धोखे में रखकर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करवाये गये व आदेश व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से पारित ओदेश इकतरफा सुनवाई कर व उसके आधार पर पारित निर्णय व डिक्री नियत प्रकिया विपरीत होने व वाद की प्रति संलग्न न कर नियम विरूद्ध सूचना मानकर इकतरफा कार्यवाही के आदेश व उक्त आदेश के फलस्वरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2017 निरस्त कर व इकतरफा सुनवाई के आदेश दिनांक 12.10.2017 व 23.11.2017 निरस्त कर प्रार्थीगण को सुनकर आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2017 की पालना स्थगित कर अप्रार्थीगण को तलब कर सुना गया। अप्रार्थी न. 1 के अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थी न. 3 के विरूद्ध इकरतफा कार्यवाही के आदेश हुये थे अप्रार्थी सं. 2 स्वयं उस्थित आये।

पक्षकारान अप्रार्थी के जवाब आने के पश्चात पत्रावली के तर्क सुने गये।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि अप्रार्थी न. 1 व 3 द्वारा इस कथन के साथ वाद प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी भीयांराम (मृतक) द्वारा चक 5 डी.डब्लयू.एम. तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 2072 के खाता संख्या 14/63 के प.न. 156/34 (11) के किला नम्बर 21 व 22 में 7–8 फुट दो बीघा लम्बाई में आड़ बनाकर अप्रार्थी को नुकसान पहॅचा रहा है। उन्हें (प्रार्थी को) उक्त भूमि से बदेखल किया जावें। वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 12.10.2017 को प्रतिवादी (प्रार्थी) के विरूद्ध इकतरफा सुनवाई के आदेश हुए जबकि दिनांक 06.05.2017 को भीयांराम फौत हो चुका था इस प्रकार इकतरफा सुनवाई के आदेश विरूद्ध प्रार्थीगण नियम विरूद्ध पारित हुये व इसके पश्चात पारित आदेश व डिक्री दि. 11.12.2017 मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुई। नोटिस भी सही प्रकार से निर्धारित प्रकिया से नहीं भेजे गये। इस प्रकार से पारित आदेश प्रार्थीगण के हितों के विरूद्ध होने से पारित आदेश व

क्रमशः 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

डिक्री निरस्त कर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई। तर्को के समर्थन में न्याय निर्णय आर.एल.आर. 1984 पेज 102, आर.आर.डी. 1991 पेज 155, आर.आर.डी. 1997 पेज 331, आर.बी.जे. 2008 पेज 539, आर.बी.जे. 2009 पेज 514, डी.एन.जे. 2011(1) पेज 504, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1207, सी.जे. (सिविल) 2019(1) पेज 100, इसी अदालत द्वारा पारित निर्णय प्रकरण सं. 65/2017 अनवान सुखविन्द्र बनाम सुखदेव कौर पेश किये गये।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कथन कि प्रतिवादी वाद 09.12.2016 को प्रस्तुत हुआ भीयांराम की मृत्यु 06.05.2017 को हुई वाद का ज्ञान भीयांराम को सम्यक सूचना के बाद भी उपस्थित ना होने से वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2017 नियमानुसार पारित हुई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात तर्को के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया प्रस्तुत न्याय निर्णयों का पठन तर्को के परिपेक्ष्य में किया गया, यह पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भीयांराम को विधी प्रक्रिया अनुसार वाद की सूचना प्राप्त नहीं हुई। वाद की प्रति समन के साथ नहीं भेजी गई। इसके अतिरिक्त दिनांक 12.10.2017 को प्रतिवादी न. 1 भीयांराम के विरूद्ध इकतरफा सुनवाई के आदेश पारित हुए जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार उनकी मृत्यु दिनांक 06.05.2017 को हो चुकी थी। इकतरफा सुनवाई के आदेश जहॉ तक भीयांराम का सम्बंध है मृतक व्यक्ति के विरूद्ध हुए जो कि पालनीय नहीं है। प्रस्तुत न्याय निर्णय आर.एल.आर. 1984 पेज 102 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने समन के साथ वाद प्रति संलग्न किये जाने का आज्ञापालक प्रावधान व्यवहार प्रक्रिया संहिता में होना माना है। आदेश 5 रूल 17, 19ए की पालना ना होने व उसके आधार पर पारित आदेश व डिक्री को आर.आर.डी. 1997 पेज 331 में नियम विरूद्ध माना है। निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 रूल 13 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित प्रकरण संख्या 206/2016 अनवानी गुड्डी देवी बनाम भीयांराम वगै. में पारित आदेश व डिक्री दिनांक 11.12.2017 निरस्त की जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई के आदेश पारित किये जाते है व साथ ही इसी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 व 23.11.2017 निरस्त कर पक्षकारान को पुनः तलब कर सुनवाई के आदेश दिये जाते है। मूल वाद पुनः सुनवाई हेतू पेशी में लिया जावें व अप्रार्थी को पाबंध किया जाता है कि वे दिनांक 30/04/20 को मूल वाद प्रकरण सं. 206/2016 की सुनवाई हेतू उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब दाखिल दफत्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.10 15:48:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: